



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक जमानत आवेदन संख्या- 20616/2026

गुड्डू

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता : राजेश कुमार

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, लाल जी पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल जी पांडेय, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. तात्कालिक जमानत आवेदन की धारा 137(2), 238, 103(1) बी.एन.एस., अपराध सं. 0429 /2025, थाना- लोनी बॉर्डर, जिला- गाजियाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है। बाद में, बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज प्रथम सूचना देने वाले के बयान में, आवेदक का नाम अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सामने आया क्योंकि प्रथम सूचना देने वाले ने मृतक के अपहरण में उनकी संलिप्तता के बारे में केवल संदेह व्यक्त किया था। इस स्तर पर साक्ष्य, मृतक बच्चे, अर्थात् देव (लगभग 10 वर्ष) के साथ आवेदक का अंतिम बार देखा जाना है। यह आगे तर्क दिया गया है कि, आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और तात्कालिक आपराधिक मिसल जमानत आवेदन के पृष्ठ 34 पर बताई गई शत्रुता आवेदक और शिकायतकर्ता के बीच नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, रोहित उर्फ कृष्णा को इस न्यायालय की समन्यायी पीठ द्वारा आपराधिक मिसल जमानत आवेदन सं. 12436 ऑफ 2026 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 द्वारा जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दे दी गई है। आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में चालान दाखिल कर दिया गया है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 19.07.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान सरकारी अधिवक्ता के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों से इनकार नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ताओं के प्रस्तुतीकरणों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा भीड़भाड़ वाली जेलों और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है।

6. आवेदक-गुड्डू, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को बताने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे, विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के साथ सत्यापित की गई हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, नीति रणनीति जमानत प्रदान करने के लिए, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4 वर्ष 2021, निर्णीत 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट, के अनुपालन में ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(न्यायमूर्ति श्री तेज प्रताप तिवारी)

दिनांक: 23 जून, 2026